न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा

GCMS ID-2015/00072
मिसल नम्बर– 23 / 2015

1.श्रीमती रामचन्द्री पुत्री श्री रामनाथ पत्नि श्री पन्नालाल आयु 50 वर्ष जाति नायक निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2.श्रीमति दांखाबाई पुत्री श्री रामनाथ पत्नि श्री रतनलाल आयु 55 वर्ष जाति नायक निवासी मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1.श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति नायक निवासी ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2.श्रीमती कन्याबाई पुत्री श्री रामनाथ पत्नि श्री बंशीलाल आयु 65 वर्ष जाति नायक निवासी गुडला तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी।
3.राज. राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

(मिसल नम्बर–39 / 2015)
कन्सोलिडेटेड वाद
1.श्रीमती कन्याबाई पुत्री श्री रामनाथ पत्नि श्री बंशीलाल आयु 65 वर्ष जाति नायक निवासी गुडला तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी, राज.।

वादीगण

बनाम

1.श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति नायक निवासी ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2.श्रीमति दांखाबाई पुत्री श्री रामनाथ पत्नि श्री रतनलाल आयु 55 वर्ष जाति नायक निवासी मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3.श्रीमती रामचन्द्री पुत्री श्री रामनाथ पत्नि श्री पन्नालाल आयु 50 वर्ष जाति नायक निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4.राज. राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।
5.उप–पंजीयक, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

6.सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कैथून जर्ये शाखा प्रबन्धक महोदय, कैथून जिला कोटा राज.।

प्रतिवादीगण

(वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53, 92ए आर0टी0एक्ट 1955)

–:निर्णयः–

दिनांक– 30/9/20

उपस्थितिः–

1.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अधिवक्ता वादीगण।

2.श्री बृजनारायण शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम संख्या 01।

3.श्री विष्णु कुमार मीणा, अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम सं. 02 तथा वादी कन्सोलिडेटेड वाद–मिसल नम्बर–39/2015 (जर्ये कायम मुकाम)।

4.श्री गोविन्द सिंह चौहान, राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम सं. 03 एवं 04 (कन्सोलिडेटेड वाद– मिसल नम्बर–39/2015)।

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53, 92ए आर0टी0एक्ट के तहत् इस आशय का पेश किया हैं किः–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सगे भाई बहिन हैं, जिनके पिता श्री रामनाथ पुत्र श्री भवंरलाल थे। जिनका वर्ष 1991 में स्वर्गवास हो गया, बाद में माता रामकवंरी बाई का भी स्वर्गवास हो गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता श्री रामनाथ के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 78 रकबा 0.04 हैं. , खसरा नम्बर 175 रकबा 0.12 हैं., खसरा नम्बर 176 रकबा 2.65 हैं. कुल किता 3 रकबा 2.81 हैं. आराजी एवं अन्य खाता ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा में ही खसरा नम्बर 3 रकबा 1.77 हैं0, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.19 हैं. कुल किता 2 रकबा 1.96 हैं. भूमि स्थित हैं। वाद पत्र में वर्णित भूमि पर जीवन पर्यन्त वादीगण व प्रतिवादी क्रम सं. 01 के पिता श्री रामनाथ काबिज होकर काश्त करते रहे और उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम सं. 1 एवं 02 मालिक बने जो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादीगण के पिता श्री रामनाथ के स्वर्गवास के बाद इन्तकाल नम्बर 71 दिंनाकः 13.12.1991 तहसीलदार साहब ने तस्दीक किया। जिसमें वादीगण का नाम दर्ज नहीं कर केवल मात्र प्रतिवादी क्रम सं. 01 का व माता श्रीमती रामकवंरी बाई का नाम दर्ज किया, बाद में माता श्रीमती रामकंवरी बाई का भी स्वर्गवास हो जाने पर भी वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया। उक्त इन्तकाल वादीगण के विरूद्व बेअसर एवं प्रभावहीन होने से खारिज होने योग्य हैं। वादीगण को त्रुटिपूर्ण रिकार्ड की जानकारी होने के बाद से प्रतिवादी क्रम सं. 01 आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। इस कारण प्रतिवादी क्रम सं. 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। वादीगण ने अन्तिम बार दिंनाकः 13.12.2015 को प्रतिवादी क्रम सं. 01 से वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज करवाने, हिस्सा देने को कहा जिस पर प्रतिवादी क्रम सं. 01 द्वारा इन्कार

कर दिया। वाद कारण दिनाकः 13.12.1991 में इन्तकाल तस्दीक करने पर वादीगण का नाम रिकार्ड में नही दर्ज करने पर तथा अन्तिम बार दिनाक 13.02.2015 को प्रतिवादी क्रम सं. 01 द्वारा नाम दर्ज करवाने एवं हिस्सा देने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी क्रम सं. 01 भूमि को अतिशीघ्र बेचान कर भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं, जिससे सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया हैं बल्कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 80(2)सी.पी. सी. पृथक से प्रस्तुत किया गया हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की डिक्री फरमानें हेतु निवेदन किया हैं किः–

1.वादीगण को अपने पिता की ग्राम बृजेशपुरा स्थित आराजी में 2/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें।
2.वादीगण के विरूद्व दर्ज इन्तकाल नं. 71 दिनाकः 13.12.1991 अवैध एवं प्रभावहीन घोषित किया जावें।
3.विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01–02 के मध्य विधिवत् रूप से विभाजन कर पृथक–पृथक खातादर्ज कर कब्जा दिलवाया जावें।
4.प्रतिवादी क्रम सं. 01 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि विभाजन में प्राप्त वादीगण की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न अपने किसी प्रतिनिधियों से करावें।
5.अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रकरण की परिस्थितियों में उचित हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम सं. 01 के द्वारा जबाब पेश कर वाद के सम्बन्ध में कथन किया कि वाद पत्र का चरण क्रम 01 स्वीकार हैं। वाद पत्र के चरण क्रम 02 असत्य व निराधार होने से स्वीकार नहीं हैं क्योकि उक्त वर्णित भूमि खसरा नं. 78, 175 व 176 श्री रामनाथ जी की मृत्यु सन् 1991 में होने तक ही उनके खाते थी तथा इसके पश्चात् उक्त भूमि का खातेदार स्वयं वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 की सहमति से इन्तकाल नं. 71 तस्दीक होने से प्रतिवादी क्रम 01 खातेदार दर्ज हो चुका हैं तथा श्री रामनाथ के पैर टूट जाने से व कार्य करने में असमर्थ हो जाने से प्रतिवादी क्रम सं. 01 ही उक्त भूमि को अस्सी पूर्व से काश्त करता आ रहा हैं एवं उसी का कब्जा चला आ रहा हैं। इस प्रकार वाद प्रस्तुति के समय श्री रामनाथ के खाते व कब्जे की भूमि होना गलत आलेखित हैं। वाद पत्र चरण क्रम 03 सर्वथा असत्य व निराधार होने से स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र चरण क्रम 4 में आलेखित तथ्य गलत वर्णित होने तथा वास्तविक तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया हैं क्योकि स्वयं वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम सं. 02 की सहमति से ही उक्त वैध इन्तकाल तस्दीक किया हैं तथा अब वादीगण की नियत खराब होने से गलत तथ्य प्रस्तुत होने से वाद सव्यय निरस्तनीय हैं। वाद पत्र का चरण क्रम 05 सर्वथा असत्य व निराधार होने से निरस्तनीय हैं क्योंकि वादीगण की स्वयं की सहमति से प्रारम्भ से ही होने के कारण उक्त सहमति के आधार पर चला आ रहा हैं। राजस्व रेकार्ड किसी भी प्रकार त्रुटिपूर्ण नहीं हैं। प्रारम्भ से ही उक्त रिकार्ड की जानकारी वादीगण को रही हैं। वाद पत्र का चरण क्रम 6 सर्वथा असत्य व निराधार होने से निरस्तनीय हैं क्योंकि दिनाकः

13.02.2015 को व इससे पूर्व कभी भी कोई बाद वादीगण की प्रतिवादी क्रम 01 से नहीं हुई हैं। वाद पत्र का चरण क्रम 07 सर्वथा असत्य व निराधार व कयास पर आधारित होने से निरस्तनीय एवं चरण क्रम 08, 09, 11 कानूनी हैं। वाद पत्र का चरण क्रम 10 स्वीकार नहीं हैं क्योंकि वाद घोषणा व बटवॉरें का होने से प्रतिवादी क्रम 03 फोरमल पक्षकार नहीं होकर आवश्यक पक्षकार हैं ऐसी स्थिति में उक्त वाद इसी स्टेज पर निरस्तनीय हैं तथा वादीगण की प्रार्थना–पत्र के चरण क्रम 01, 02, 03, 04, 05 स्वीकार नहीं हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम सं. 01 ने अपने जवाब दावें के समर्थन में विशेष कथन करते हुये जाहिर किया हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम सं. 02 के पारिवारिक समस्त खर्चों की जिम्मेदारियॉ वहन करने एवं रूपयों की आवश्यकता होने से लगभग 06 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 17 की भूमि व खसरा नम्बर 176 की 4 बीघा भूमि का मजबूरन बेचान करना पडा हैं, इसकी जानकारी वादीगण व प्रतिवादी क्रम सं. 02 को प्रारम्भ से ही रही हैं, फिर भी उक्त तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया हैं जिससे वाद सव्यय निरस्तनीय हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 02 द्वारा जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नम्बर 01 लगायत 11 स्वीकार हैं एवं वादीगण के साथ प्रतिवादी क्रम सं. 02 श्रीमती कन्या बाई का भी श्री रामनाथ की जायन्दा पुत्री होने से वाद पत्र की मद नम्बर 02 में वर्णित आराजी का खातेदार घोषित कर वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम सं. 01 के समान राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान करें।

वाद सं. 39/15 तथा वाद सं. 23/15 समान प्रकृत्ति एवं समान भूमि के होने से एक साथ कन्सोलिडेट किये गये। वाद सं. 39/15 में प्रतिवादी क्रम सं. 06 होने के कारण, प्रतिवादी क्रम सं. 06 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा भी जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी क्रम सं. 06 द्वारा अपने जवाब में वाद पत्र के चरण क्रम 01 को स्वीकार एवं चरण क्रम 02 में वर्णित तथ्य रेवेन्यू रेकार्ड की बात हैं, बताकर सिद्व करने की जिम्मेदारी वादीगण की बताई हैं। वाद पत्र के चरण क्रम 03 में वर्णित तथ्यों को स्वीकार नहीं कर वाद पत्र में वर्णित भूमि का एकमात्र रिकोर्डेड खातेदार श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामनाथ नायक को बताया हैं। वाद पत्र के चरण क्रम 04 में वर्णित तथ्यों का ज्ञान को नहीं होने से इसे सिद्व करने की जिम्मेदारी वादीगण की बताई हैं। वाद पत्र के चरण क्रम 05 में दर्ज तथ्यों का ज्ञान प्रतिवादी क्रम सं. 06 बैंक को नहीं हैं। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रम 01 ही खातेदार दर्ज होने बाबत् कथन किया हैं। वाद पत्र के चरण क्रम 06 मं दर्ज तथ्यों को वादीगण द्वारा सिद्व किया जाना हैं। प्रतिवादी क्रम सं. 01 द्वारा प्रतिवादी क्रम सं. 06 से के.सी.सी. लिमिट त्रृण सुविधा प्राप्त कर रखी हैं एवं पूर्ण भूमि पर रहन दर्ज हैं, जो कि दिंनाकः 23.07.2012 को बुक नं. 01 जिल्द संख्या 1129 पेज नं. 39 क्रम सं. 2012004334 पर उप–पंजीयक कोटा के कार्यालय में पंजीबद्व हो चुका हैं। प्रतिवादी क्रम सं. 01 ने बैंक से 3,75,000/– रूपये की केसीसी लिमिट दिंनाकः 28.07.2012 को प्राप्त की थी। स्टेटमेंट अकान्ट के अनुसार प्रतिवादी क्रम सं. 01 की ओर दिंनाकः 29.07.2017 तक रूपयें 4,54,060.78 बाकी निकलता हैं। दिंनाकः 30.07.2017 से 09.08.2017 तक का ब्याज रूपये 17885.22/– बनता हैं। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम सं. 01 की ओर कुल रूपये 4,71,946.00/– बकाया हैं जिसे वह चुका नहीं रहा हैं। वाद पत्र चरण

क्रम 07 कानूनी, 08 में दर्ज तथ्यों का ना तो ज्ञान और ना ही सूचना होना, 09 कानूनी होना कथन किया हैं। प्रार्थना–पत्र वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि भूमि बैंक के पास रहन हैं एवं ऐसा प्रतीत होता हैं कि मिलीभगत कर अदायगी से बचने हेतु वाद पत्र पेश किया हैं। प्रतिवादी क्रम सं. 06 द्वारा यह भी कथन किया कि प्रतिवादी क्रम सं. 01 द्वारा बैंक से त्रृण लेकर पूर्ण भूमि बैंक के पक्ष में रहन कर दी हैं और रहन दर्ज हैं, जब तक बैंक की पूरी बकाया राशि अदा नहीं की जाती हैं, तब तक किसी प्रकार की डिक्री इस दावें में पारित नहीं की जा सकती हैं। प्रतिवादी क्रम सं. 01 रकम अदा कर बैंक से नोड्यूज प्राप्त करें तभी रहन का नोट रेकार्ड से हटाया जा सकता हैं। अतः प्रतिवादी क्रम सं. 06 द्वारा वाद पत्र को सव्यय खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रकरण में जवाब वाद–पत्र प्राप्त होने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गईः–

1.आया वादीगण व प्रतिवादीगण मृत्तक श्री रामनाथ पुत्र श्री भवंर लाल के पुत्र व पुत्री हैं तथा उनकी आराजी को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

वादीगण।

2.आया वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम सं. 02 का नाम इन्तकाल नं. 71, दिंनाकः 13.12.1971 में दर्ज नहीं करने से बेअसर व प्रभावहीन हैं।

वादीगण।

3.आया वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम सं. 02 की सहमति से श्री रामनाथ की भूमि प्रतिवादी क्रम सं. 01 के नाम दर्ज की हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

4.आया वादीगण को जानकारी होने पर भी खसरा नम्बर 17 के खरीद–दार को पक्षकार नहीं बनाने से दावा चलने योग्य नहीं हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

5.आया प्रतिवादी क्रम सं. 01 ने वादीगण के विवाह के परिवार के कार्यक्रमों में पैसा खर्च करने से वादीगण का अधिकार समाप्त हो गया हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

6.आया प्रतिवादी क्रम सं. 01 ने विशेष आपत्तियों की मद नम्बर 06 में वर्णित कार्य करने से, कोई अधिकार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम सं. 02 का नहीं रहा हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

7.आया प्रतिवादी क्रम सं. 02 के पुत्रों के जन्म का खर्चा प्रतिवादी क्रम सं. 01 ने उठाया हैं। मॉ के जेवर ले जाने व पुत्रों की शादियॉ करने से प्रतिवादी क्रम सं. 02 का कोई अधिकार नहीं रहा हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

8.सहायता।

तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त प्रकरण में साक्ष्य वादी ली गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 प्रदर्श 01 एवं 02, दिंनाक:07.09.2015, नकल इन्तकाल सं. 71 की प्रति, नकल सेटलमेंट जमाबन्दी 2038 से 2057 प्रदर्श 03 दिंनाक:07.09.2015, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 प्रदर्श 04 दिंनाक:07.09.2015, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 प्रदर्श 05 दिंनाक:07.09.2015, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2048 प्रदर्श 06 दिंनाक:07.09.2015, नकल सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2057 प्रदर्श 07 दिंनाक:07.09.2015, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 प्रदर्श 08 दिंनाक:07.09.2015, नकल सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2057 प्रदर्श 09 दिंनाक:07.09.2015 की प्रति पेश की।

प्रतिवादी क्रम सं. 01 श्री बाबूलाल की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी में साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र श्री बाबूलाल डी0ड0 01 दिंनाक:24.11.2017, शपथ–पत्र श्री छोटूलाल डी0ड0 02 दिंनाकः 16.11.2018, शपथ–पत्र श्री पुष्पचंद डी0ड0 03, माननीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट में निर्णय दिंनाक:23.10.2018 की प्रति भी पेश की।

प्रतिवादी क्रम सं. 02 श्री कन्याबाई की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी में साक्ष्य हेतु नकल इन्तकाल सं. 65 दिंनाक:01.01.1977 खसरा नम्बर 03 वाके ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा कोटा प्रदर्श 02 दिंनाक:03.12.2018, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2037 वाके ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा कोटा प्रदर्श 04 दिंनाक:03.12.2018, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 तक खसरा नम्बर 03 ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा कोटा प्रदर्श 03 दिंनाक:03.12.2018 की प्रति पेश की गई।

मिसल नम्बर 39/2015 जो कि 23/2015 के साथ कन्सोलिडेटेड किया गया हैं, में प्रतिवादी क्रम सं. 06 के हैसियत से अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में साक्ष्य हेतु जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की फोटोकोपी दिंनाक:01.09.2015, ट्रेस की फोटोकोपी दिंनाक:28.05.2012, उप–पर्जीयक कोटा के कार्यालय में दर्ज रहन का नोट व गिरवी का पंजीयन का नोट बुक नं. 1, जिल्द संख्या 1129 की फोटोकॉपी दिंनाकः 23.07.2012, खाता संख्या 31931988002 श्री बाबूलाल की फोटाकॉपी बकाया राशि बाबत् दिंनाक:09.08.2017 की प्रति पेश की गई।

बहस वादीगण अधिवक्ता श्री रविन्द्र खण्डेलवाल एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 02 अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार मीणा, कन्सोलिडेटेड वाद पत्र 39/2015 में प्रतिवादी क्रम सं. 06 अधिवक्ता की ओर से की गई, जो सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता श्री रविन्द्र खण्डेलवाल ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सगे भाई बहिन हैं, जिनके पिता श्री रामनाथ का वर्ष 1991 में स्वर्गवास हो गया, बाद में माता रामकवंरी बाई का भी स्वर्गवास हो गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता श्री रामनाथ के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि कुल रकबा 2.81 हैं. वाके ग्राम बृजेशपुरा एवं अन्य खाते की कुल रकबा 1.96 हैं. भूमि वाके ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में ही स्थित हैं जिस पर जीवन पर्यन्त वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता श्री रामनाथ ने काबिज होकर काश्त किया हैं तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम सं. 1 एवं 02 मालिक बने जो उपयोग उपभोग कर रहे हैं किन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता श्री रामनाथ के स्वर्गवास के बाद इन्तकाल नम्बर 71 दिंनाकः 13.12.1991 में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होकर केवल मात्र प्रतिवादी क्रम सं. 01 का व माता श्रीमती रामकवंरी बाई का नाम दर्ज हुआ तथा बाद में भी जब माता श्रीमती रामकंवरी बाई का स्वर्गवास हो गया तब भी वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ। इससे उक्त इन्तकाल वादीगण के विरूद्व बेअसर एवं प्रभावहीन होने से अवैध, प्रभावहीन घोषित करने तथा कुल आराजी में 2/4 हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं विधिवत् रूप से विभाजन कर पृथक–पृथक खाता–दर्ज कर कब्जा दिलवाये जाने हेतु निवदेन किया गया।

प्रतिवादी क्रम सं. 02 के अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार मीणा ने दौराने बहस अपने जवाब दावें अनुसार प्रतिवादी क्रम सं. 02 का, श्री रामनाथ की जायन्दा पुत्री होने से विवादित आराजी में खातेदार घोषित कर नाम दर्ज करने एवं डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

कन्सोलिडेटेड वाद सं. 39/2015 के अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम सं. 06 ने दौराने बहस कथन किया कि तहसील लाडपुरा के ग्राम बृजेशपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 0.04 हैं., खसरा नम्बर 175 रकबा 0.12 हैं., खसरा नम्बर 176 रकबा 2.65 हैं. किता 03 रकबा 2.81 हैंक्टेयर जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम सं. 01, 02 के मध्य विवादित हैं, वो सम्पूर्ण भूमि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में श्री बाबूलाल द्वारा रहन दर्ज हैं। प्रतिवादी क्रम सं. 01 श्री बाबूलाल द्वारा रहन की राशि नहीं अदा की गई हैं। अतः वाद को प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम सं. 01 द्वारा बहस हेतु अवसर चाहने पर पत्रावली में निर्णय दिंनाकः18.09.2020 से पूर्व बहस करने हेतु अवसर दिया गया किन्तु अधिवक्ता द्वारा निर्णय दिंनाकः 18.09.2020 तक बहस नहीं की गई तत्पश्चात् अधिवक्ता को पुनः अवसर दिया गया किन्तु अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बहस नहीं की गई। प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक विलम्ब ना हों इसलिये वादी एवं प्रतिवादी क्रम सं. 02, 06(कन्सोलिडेटड वाद) के अधिवक्ता की बहस उपरान्त पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं बयान जिरह का अवलोकन कर तनकी वार निर्णय की ओर अग्रसर होते हैं।

1.आया वादीगण व प्रतिवादीगण मृत्तक श्री रामनाथ पुत्र श्री भवंर लाल के पुत्र व पुत्री हैं तथा उनकी आराजी को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

वादीगण।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं जिसके क्रम में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी क्रम सं. 01 श्री बाबूलाल से दौराने जिरह प्रश्न किये जाने पर प्रतिवादी क्रम सं. 01 श्री बाबूलाल ने यह स्वीकार किया हैं कि "हम चार भाई–वहिन हैं, जिसमें से मेंरे तीन बहने कन्याबाई, दांखाबाई, रामचन्द्री वाई हैं"। किन्तु पत्रावली में उपलब्ध बयान जिरह के अनुसार वादीगण द्वारा अपने पिता के स्वर्गवास एवं अपनी माता के स्वर्गवास के बाद भी उचित एवं तय समय पर ही अपना नाम दर्ज करवाने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र नहीं देने तथा नामान्तकरण सं. 71 दिंनाकः 13.12.1991 मुताबिक सजरा एवं शपथ–पत्र (कन्या वाई, दांखा बाई, रामचन्द्री बाई) तस्दीक किये जाने के अनुसार एवं वादीगण द्वारा अपील बनाराजगी इंतकाल नं. 71 दिंनाकः 13.12.1991 ग्राम बृजेशपुरा तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा में पेश होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिंनाकः 23.10.2018 को अपील अस्वीकार कर निर्णय पारित करने से यह तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती हैं।

2.आया वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम सं. 02 का नाम इन्तकाल नं. 71, दिंनाकः 13.12.1971 में दर्ज नहीं करने से बेअसर व प्रभावहीन हैं।

वादीगण।

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर हैं। इन्तकाल नं. 71, दिंनाकः 13.12.1971 को बेअसर व प्रभावहीन घोषित करने का क्षेत्राधिकार यघपि इस न्यायालय को नहीं हैं किन्तु फिर भी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों यथा नामान्तकरण सं. 71, दिंनाकः 13.12.1971 का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि नामान्तकरण सं. 71, दिंनाकः 13.12.1971 मुताबिक सजरा एवं शपथ–पत्र तस्दीक किया गया हैं तथा वादीगण द्वारा उक्त इन्तकाल को प्रभावहीन घोषित करवाने के लिये अपील बनाराजगी इंतकाल नं. 71 दिंनाकः 13.12.1991 ग्राम बृजेशपुरा तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा में पेश की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिंनाकः 23.10.2018 को अपील अस्वीकार कर निर्णय पारित किया जिससे यह तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती हैं।

3.आया वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम सं. 02 की सहमति से श्री रामनाथ की भूमि प्रतिवादी क्रम सं. 01 के नाम दर्ज की हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी क्रम सं. 01 हैं, जिसके क्रम में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रथम तथ्य यह पाया गया हैं कि

नामान्तकरण सं. 71 दिंनाकः 13.12.1991 को मुताबिक सजरा एवं शपथ–पत्र (कन्यावाई, दांखबाई, रामचन्द्री बाई) तस्दीक किया गया हैं जिससे विवादित आराजी पर प्रतिवादी श्री बाबूलाल का नाम दर्ज हुआ हैं साथ ही नामान्तकरण सं. 71 दिंनाकः 13.12.1971 में दर्ज नोट "मुताबिक सजरा एवं शपथ–पत्र" पर वादी गण एवं प्रतिवादी क्रम सं. 02 द्वारा सहमति दिये जाने या नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में "शपथ–पत्र" की प्रमाणिकता जॉच का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने तथा वादीगण द्वारा अपील बनाराजगी इंतकाल नं. 71 दिंनाकः 13.12. 1991 ग्राम बृजेशपुरा तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा में पेश होने पर माननीय न्यायालय द्वारा भी दिंनाकः 23.10.2018 को अपील अस्वीकार कर निर्णय पारित किया जाने से यह तनकी प्रतिवादी क्रम सं. 01 के पक्ष में तय की जाती हैं।

4.आया वादीगण को जानकारी होने पर भी खसरा नम्बर 17 के खरीद–दार को पक्षकार नहीं बनाने से दावा चलने योग्य नहीं हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी क्रम सं. 01 हैं। विवादित आराजी में वादीगण द्वारा अपना हक अधिकार प्राप्त करने के लिये यह वाद–पत्र प्रस्तुत किया हैं किन्तु प्रतिवादी क्रम सं. 01 द्वारा बेची गई जमीन के खरीरदार को पक्षकार वादीगण द्वारा नहीं बनाया गया हैं, जिससे यह तनकी प्रतिवादी क्रम सं. 01 के पक्ष में तय की जाती हैं।

5.आया प्रतिवादी क्रम सं. 01 ने वादीगण के विवाह के परिवार के कार्यक्रमों में पैसा खर्च करने से वादीगण का अधिकार समाप्त हो गया हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

6.आया प्रतिवादी क्रम सं. 01 ने विषेश आपत्तियों की मद नम्बर 06 में वर्णित कार्य करने से, कोई अधिकार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम सं. 02 का नहीं रहा हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

7.आया प्रतिवादी क्रम सं. 02 के पुत्रों के जन्म का खर्चा प्रतिवादी क्रम सं. 01 ने उठाया हैं। मॉ के जेवर ले जाने व पुत्रों की शादियॉ करने से प्रतिवादी क्रम सं. 02 का कोई अधिकार नहीं रहा हैं।

प्रतिवादी क्रम सं. 01

उक्त तनकी नं. 5, 6, 7 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी क्रम सं. 01 पर हैं एवं तनकी नं. 05, 06, 07 का अर्थ एक होने एवं सम्बन्ध परस्पर एक–दूसरे से होने से उक्त तनकियों को एक साथ तय किया जा रहा हैं। प्रतिवादी क्रम सं. 01 से अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बयान जिरह किये जाने में यह तथ्य प्रदर्शित होता हैं कि वादीगण के विवाह एवं परिवार के अन्य कार्यक्रमों में प्रतिवादी क्रम सं. 01 द्वारा खर्च की गई राशि का कोई विवरण

एवं कोई प्रमाणित दस्तावेज ना तो प्रतिवादी क्रम सं. 01 के पास उपलब्ध हैं और ना ही पत्रावली में प्रस्तुत किया हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम सं. 01 के विरूद्व तय की जाती हैं।

उपरोक्तानुसार बाद तनकीवार विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेंजों से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि तनकी नम्बर 01 लगायत 04 वादीगण के विरूद्व तय हुई हैं, नामान्तकरण सं. 71 दिंनाकः 13.12.1991 मुताबिक सजरा एवं शपथ–पत्र तस्दीक हुआ हैं जिसमें शपथ–पत्र की सत्यता के सम्बन्ध में जॉच का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं तथा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् अपील बनाराजगी "नामान्तकरण नं. 71 दिंनाकः 13.12.1991" को "माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा" द्वारा अस्वीकार किया गया हैं। अतः वाद वादी साबित नहीं होना पाया जाता हैं जिससे वाद वादी खारिज किया जाता हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 30/9/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मोहनलाल प्रतिहार
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/3/20	पत्रावली पेश हुई पत्रावली मुलवार के साथ दिनांक 16/3/20 को पेश हो।	
16/3/20	पत्रावली पेश हुई पत्रावली पूर्ववत दिनांक 24/3/20 को पेश हो।	
4/9/20	पत्रावली कोरोना लाकडाउन से पेश हुई पत्रावली पूर्ववत दिनांक 18/9/20 को पेश हो	
18/9/20	पत्रावली पेश हुई पत्रावली पूर्ववत दिनांक 30/9/20 को पेश हो।	
30/9/20	पत्रावली पेश हुई मूल दावा खारिज किया गया है जिससे इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बरान से कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।	